संख्या /XXVII(5)/(कैम्प)/व्या0कर /05

प्रेषक,

प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त, कर,
उत्तरांचल देहरादून।

वित्त अनुभाग–5 ::दिनांक:: 14 ::मार्च 2005

महोदय,

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की द्वारा प्रत्यावेदन किया गया है कि उन के द्वारा प्रान्त के बाहर से काफी मात्रा में सामान का आयात किया जाता है जिसके लिए उन्हें फार्म–32 की काफी संख्या में आवश्यकता पड़ती है। इस सन्दर्भ में उन्हें विभाग से या तो समय पर फार्म उपलब्ध नही होते हैं या फार्म उपलब्ध होने पर भी निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत माल न आने के कारण उपरोक्त माल को व्यापार कर जांच चौकी पर रोक दिया जाता है। जिसके कारण उन्हें कठिनाई होती है अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि संस्थान के नामित अधिकारी द्वारा माल व भार वाहन का सम्पूर्ण विवरण देने पर एवं यह प्रमाण पत्र देने पर कि अमुक वाहन द्वारा संस्थान का माल लाया जा रहा है जांच चौकी या सचल दल द्वारा फार्म 32 की मांग न की जाय उनका यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी भारतीय प्राद्योगिक संस्थान के लिये इस प्रकार की व्यवस्था अपने पत्र दिनांक 25–04–95 द्वारा की गयी है।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रूड़की भारत सरकार का एक संस्थान है उनके द्वारा संस्थान के कार्य हेतु फार्म 32 की मांग की जाती है। खरीद बिक्री या संस्थान की ओर से यह बिक्री का ट्रान्जैक्शन न होने के कारण इसमें किसी प्रकार के करापवंचन की सम्भावना नहीं है। अतः संस्थान द्वारा दिये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने पर परिवहन किये गये माल को जांच चौकी अधिकारी अथवा सचल दल अधिकारी द्वारा न रोका जाय व इसके लिये अलग से फार्म 32 की मांग न की जाय। यह सुविधा केवल उसी माल के लिये होगी जो संस्थान द्वारा निजी उपयोग के लिये लाया जाता है परन्तु यदि इस प्रकार का माल ठेकेदारों को दिया जाता है तो उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 331 (1)/XXVII(5)/(कैम्प)/व्या0कर /05 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– कुल सचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की को उनके इस कार्यालय में प्राप्त पत्र दिनांक 07–02–2005 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

(पी0 के0 चन्दोला)
अपर सचिव वित्त।

पत्रांक विधि-परिपत्र/2004-2005/ /आयु0क0उत्तरांचल,देहरादून/व्या0कर ।

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तरांचल

(विधि-अनुभाग)

दिनांक::देहरादून, 31 मार्च 2005,

समस्त डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, सचल दल,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर,(प्रभारी)जांच चौकी
समस्त व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2
व्यापार कर, उत्तरांचल ।

प्रमुख सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन ने अपने पत्र संख्या-331 XXVII(5)/(कौम्प)/व्या0कर /05 दिनांक: 16-03-2005 के द्वारा निर्देश दिये है कि भारती प्रौद्योगिक संस्थान रूड़की भारत सरकार का एक संस्थान है उनके द्वारा संस्थान को मा हेतु फार्म 32 की मांग की जाती है । खरीद विकी या संस्थान की ओर से यह बिव का ट्रान्जैक्शन न होने के कारण इसमें किसी प्रकार के करापवंचन की सम्भावना नही है अतः संस्थान द्वारा दिये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर पर परिवहन किये गये माल को जांच चौकी अधिकारी अथवा सचल दल अधिकारी द्वारा रोका जाय व इसके लिये अलग से फार्म 32 की मांग न की जाय । यह सुविधा केव उसी माल के लिये होगी जो संस्थान द्वारा निजी उपयोग के लिये लाया जाता है पर यदि इस प्रकार का माल ठेकेदारों को दिया जाता है तो उनको यह सुविधा उपलब्ध न होगी ।

शासन के उक्त पत्र की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा र है कि कृपया शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे कि भारत प्रौद्योगिक संस्थान रूड़की को कोई असुविधा न हो ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

(सी0एस0 सेमवाल)
एडीशनल कमिश्नर, व्यापार कर
मुख्यालय देहरादून।

पृ0प0सं0 4093 दिनांक:: उक्त::

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/ व्यापार कर, देहरादून हरिद्वार /हल्द्वानी/काशी एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) व्यापार कर, हरिद्वार /रुद्रपुर को इस निर्देश साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिका को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर, व्यापार कर
मुख्यालय, देहरादून ।